राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी रामसर

पीठासीन अधिकारी :— श्री राम लाल मीणा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या — 48/2024

उनवान

वादी	प्रतिवादीगण
1. हेदर खान पुत्र शोभा खानजाति मुसलमान निवासी सुहाडा तहसील रामसर जिला बाडमेर।	1.तहसीलदार रामसर। 2.करीम पुत्र शोभा 3.सरादीन पुत्र शोभा 4.मलुका पत्नी शोभा 5. दुरा पुत्र कादरा 6.मगा पुत्र कादरा 7.सरदारा पुत्र सादुला 8. हकीमा पत्नी सफना जातियान मुसलमान निवासी सुहाड़ा तहसील रामसर जिला बाड़मेर।

सहायक कलक्टर रामसर (बाड़मेर)

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधिनियम बाबत घोषणा

निर्णय **दिनांक** 25.03.2026

वादीगण अधि.— श्री शाकर खान

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि **वादी के वकील श्री शाकर खान द्वारा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि** मौजा सुवाड़ा पटवार मण्डल भाचभर तहसील रामसर के खसरा संख्या क्रमशः 6, रकबा 13.1118 हेक्टैयर एंव खसरा नंबर 205 रकबा 11.1774 हेक्टैयर की भूमि वादी एंव प्रतिवादीगण संख्या 2 से 8 तक की पैतृक व सयुक्त खातेदारी भूमि आई हुई है। वादी को उसके परिवार वाले/रिस्तेदार आदि सामान्य बोलचाल की भाषा में **जगह कालु पुत्र शोभा** व हेदर खान पुत्र शोभा खान दौनों नामों से पुकारते थे। व वादी के दादा कादरा पुत्र अदरीम एंव पिता शोभा पुत्र कादरा के फौत होनें पर ग्राम सुवाडा का नामान्तरण संख्या 260 दायर करते समय नामान्तरणकरण में वादी का नाम कालु पुत्र शोभा दर्ज कर दिया गया। जबकि राज्य सरकार एंव भारत सरकार द्वारा जारी दस्तावेज मतदाता पहचान पत्र ,आधार कार्ड ,पैन कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड व अन्य शैक्षणिक दस्तावेजों में हेदर खान पुत्र शोभा खान दर्ज हैं। कालु पुत्र शोभा वहेदर खान पुत्र शोभा खान दोनों नामों का वादी एक ही व्यक्ति हैं। राजस्व रेकर्ड एंव सरकार द्वारा जारी दस्तावेजों में नाम की भिन्नता होनें से सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वकांक्षी योजनाओं का वादी को लाभ नही मिल पा रहा हैं। राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम कालु पुत्र शोभा के स्थान पर हेदर खान पुत्र शोभा खान दुरस्त (घोषित) करवानें के लिये घोषणा का वाद जरिये अधिवक्ता दिनांक 11.09.2024 को इस न्यायालय में पेश किया हैं जिसको दर्ज रजिस्टर इस कार्यालय के पत्रांक /कोर्ट/2024/3384 दिनांक 10.04.2024 एंव 927 दिनांक 03.11.2025 द्वारा मोका रिर्पोट चाही गई। तहसीलदार रामसर के पत्रांक राजस्व/कोर्ट/2025/3040 दिनांक 24.12.2025 द्वारा इस कार्यलय को प्राप्त हुई। जिसमें राजस्व रेकर्ड में मतदाता पहचान पत्र ,आधार कार्ड ,पैन कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड के अनुसार वादी का नाम कालु पुत्र शोभा के स्थान पर हेदर पुत्र शोभा [illegible] की गई। एंव वादी की सयुंक्त खातेदारी भूमि में सहखातेदारों के बयान कलमबद्व [illegible] गवाहानों के द्वारा भी वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में नाम हेदर [illegible] अतः पत्रावली का अवलोकन किया, बहस सुनी, तहसीलदार रामसर [illegible] मतदाता पहचान पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Lal Meena
Date: 2026.04.27 10:24:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) रामसर

Scanned with OKEN Scanner

.र्ड ,पैन कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड व अन्य शैक्षणिक । एंव सहखातेदारों के बयानों के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं।
.नदार रामसर को आदेशित किया जाता हैं कि मौजा सुवाड़ा पटवार मण्डल भाचभर .ील रामसर के खसरा संख्या क्रमशः 6, 205 रकबा क्रमशः 13.1118, 11.1774 हेक्टैयर में .स्व रेकर्ड में वादी का नाम **हेदर खान पुत्र शोभा खान** जाति मुसलमान निवासी सुहाडा तेहसील रामसर जिला बाडमेर को तदनुसार दुरूस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 25/03/2026 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर लगाकर जारी किया गया।

(राम लाल मीणा)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी, रामसर
(SDO) रामसर

सहायक कलक्टर रामसर (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Lal Meena
Date: 2026.04.27 10:24:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner